



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 57 राँची, बुधवार,

1 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

6 दिसम्बर, 2022

संख्या-12/लि०से०-03-01/2019 का० 7646--श्री त्रिदीप चक्रवर्ती, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-10121, दिनांक-18.12.2019 के द्वारा उनके विरुद्ध विहित प्रपत्र 'क' में गठित निम्नांकित प्रमाणित आरोप (आरोप की विवरणी) के आधार पर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है :-

आरोप संख्या-1

(क) श्री त्रिदीप चक्रवर्ती, लिपिक को योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के कार्यालय आदेश संख्या-09/वि०, दिनांक-22.01.2016 द्वारा लेखा शाखा में पदस्थापित किया गया। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-83/वि०, दिनांक-02.06.2016 द्वारा विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन विपत्र तैयार करने एवं इससे संबंधित डाटा इन्ट्री का कार्य आवंटित किया गया।

(ख) श्री त्रिदीप चक्रवर्ती द्वारा माह जनवरी 2016 से नवम्बर 2018 तक अपने आवंटित कार्यों का निष्पादन किया गया।

(ग) श्री रंगनाथ तिवारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विभागीय रोकड़ पंजी एवं अभिश्रव जाँच के क्रम में माह नवम्बर, 2018 एवं इसके पूर्व के वेतन विपत्रों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री त्रिदीप चक्रवर्ती द्वारा अपना वास्तविक मूल वेतन माह जुलाई अगस्त 2017 से ₹ 37500 (सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र से बढ़ाकर मूल वेतन ₹ 62,200 (बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र पर विगत कई महीनों से विपत्र तैयार किया गया एवं अधिक वेतन की निकासी की गयी है। इस वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी श्री तिवारी द्वारा दिनांक-03.12.2018 को हस्ताक्षरित पीत पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव (लेखा), योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को दी गयी।

(घ) श्री चक्रवर्ती द्वारा अपने कार्यकाल में स्वयं के वेतन से अधिक निकासी एवं अन्य विपत्रों में अधिक/कम भुगतान किये जाने हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-169/वि० दिनांक-06.12.2018 द्वारा श्रीमती साधना सिन्हा, संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग(वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में जाँच समिति का गठन किया गया।

(ङ) जाँच प्रतिवेदन की प्रत्याशा में श्री रंगनाथ तिवारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-3128/वि०, दिनांक-14.12.2018 द्वारा श्री चक्रवर्ती को अधिक निकासी की गई वेतन के रूप में अनुमानित राशि रुपये 6,60,254 (छः लाख साठ हजार दो सौ चौवन रुपये मात्र) को दिनांक-20.12.2018 तक ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कर विभाग को सूचित करने तथा 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर कारण-पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(च) श्री चक्रवर्ती द्वारा दिनांक-08.01.2019 को हस्ताक्षरित आवेदन द्वारा दिनांक-09.12.2018 को सरकारी चालान के माध्यम से ₹-55,000 (पचपन हजार रुपये) मात्र जमा करने की सूचना अवर सचिव (लेखा) को दी गई तथा शेष राशि की वसूली वेतन से करने का अनुरोध किया गया। साथ ही श्री चक्रवर्ती द्वारा किये गये कृत्य के लिए क्षमा मांगते हुए अश्वासन दिया गया कि जैसे-जैसे राशि की व्यवस्था होगी, उसे सरकारी कोष में जमा कर दिया जायेगा।

(छ) विभागीय स्तर पर गठित जाँच समिति द्वारा माह सितम्बर 2016 से नवम्बर, 2018 तक श्री चक्रवर्ती द्वारा कुल ₹ 6,91,831 (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रुपये) मात्र की अवैध वेतन निकासी के संबंध में अंतरिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर नियमतः श्री चक्रवर्ती का सितम्बर, 2016 से नवम्बर, 2018 तक का वेतन ₹ 12,71,100 (बारह लाख एकहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र होता है, जिसे अवैध रूप से वेतन के रूप में ₹ 19,62,931 (उन्नीस लाख बासठ हजार नौ सौ एकतीस रुपये) मात्र की निकासी कर ली गई है।

(ज) उक्त प्रतिवेदन के क्रम में विभागीय पत्रांक 344/वि० दिनांक-08.02.2019 द्वारा श्री चक्रवर्ती से 03 (तीन) कार्य दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है। श्री चक्रवर्ती द्वारा दिनांक-14.02.2019 को हस्ताक्षरित आवेदन में स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा भूलवश वेतन से अधिक राशि की निकासी कर ली गई है, जिसके लिये क्षमा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही शेष राशि की वसूली के लिए अपने मासिक वेतन से ₹ 25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति माह कटौती करते हुए वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

आरोप संख्या-2

(क) श्री चक्रवर्ती के उक्त कृत्य द्वारा ₹ 6,91,831 (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रुपये) मात्र की सरकारी राशि की अवैध निकासी कर गबन किया गया है।

आरोप संख्या-3

(क) श्री चक्रवर्ती द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है तथा ऐसा कार्य किया है, जो एक सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। यह सरकार आचार नियमावली के नियम 3(1)(i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचारण है।

2. श्री चक्रवर्ती द्वारा उक्त अधिरोपित बर्खास्तगी के दण्ड पर पुनर्विचार हेतु निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दिनांक-02.01.2020 को सक्षम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन का मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-10121, दिनांक-18.12.2019 के आरोप कंडिका-2 में जो सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया है यह आरोप पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा दिये गये समय दर समय निर्देशों का अनुपालन उनके द्वारा ससमय किया गया एवं पूर्ण राशि ₹-691831 (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रुपये) रुपया निर्धारित समय के अंदर राजकोष में जमा कराया गया। अतः उनके द्वारा सरकारी राशि का गबन नहीं किया गया है।

(ख) उनके द्वारा माह दर माह वेतन विपत्र का डाटा इन्ट्री कर पारित करने हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत विपत्रों की पूर्ण जाँच/संतुष्टी कर हस्ताक्षरोपरांत विपत्र पारित हेतु कोषागार में भेजा जाता था। भूलवश उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्रों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिना जाँच के ही कोषागार से पारित कराया गया, यह संभव नहीं है।

(ग) उनकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर केन्द्रीय अनुकम्पा समिति कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक-08.02.2002 को की गयी। 18 (अठारह) वर्षों की सेवाकाल में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। वे निस्वार्थ भाव से सरकारी कार्य का निर्वाह किया गया है।

(घ) पूरे परिवार का भरण-पोषण का दायित्व उनके उपर है, आश्रित परिवार जिसमें बूढ़ी माँ, एक अविवाहित बहन, एक छोटा बच्चा एवं पत्नी है। परिवार के आय करने वाला एकमात्र वे ही हैं और इस नौकरी के अलावा उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। जिस कारण आय का स्रोत न होने से वे एवं उनका पूरा परिवार आर्थिक कठिनाईयों का सामना करते हुये पूरे परिवार का मौत हो जायेगा। अतः वे महोदय के समक्ष अपील करते हैं कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-10121 दिनांक-18.12.2019 के द्वारा उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है, उक्त वृहद दण्ड से विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि वे उन पर निर्भर पूरे परिवार का दायित्व का निर्वाह कर सकें।

3. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2022 के नियम-25-3 में अंतःस्थापित उप नियम (iii) में अपील के निष्पादन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत श्री चक्रवर्ती के अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई है।
4. श्री चक्रवर्ती द्वारा वेतनमद में अधिक की गई निकासी राशि ₹०-6,91,831 (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रुपये) मात्र राजकोष में जमा की जा चुकी है। अतः उनकी एवं उनके परिवार के आर्थिक तंगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुये उनके अपील अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये विभागीय आदेश सं०-10121 दिनांक-18.12.2019 द्वारा अधिरोपित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को संशोधित करते हुये झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14(vi) के अंतर्गत “संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक (वृहद शास्ति)” का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः श्री त्रिदीप चक्रवर्ती, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध विभागीय आदेश सं०-10121 दिनांक-18.12.2019 द्वारा अधिरोपित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को संशोधित करते हुये झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत “संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक (वृहद शास्ति)” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। -

- (i) श्री चक्रवर्ती की सेवा में पुनः स्थापन उनके द्वारा विभाग में योगदान की तिथि से प्रभावी होगी।
- (ii) श्री चक्रवर्ती की बर्खास्तगी अवधि की गणना मात्र पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।
- (iii) श्री चक्रवर्ती की बर्खास्तगी अवधि के लिए इन्हें किसी प्रकार के वेतन एवं अन्य भत्ते अनुमान्य नहीं होंगे।

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
